राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
***वितभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर*-302005**
(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6)निप/(लिंक नंबर–23333/2013)/अलेसे–II/602 दिनांकः– 06-05-2025

कार्यालय आदेश

श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लिंक नंबर–23333) तत्कालीन कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) जयपुर के आदेश क्रमांक 2856 दिनांक 12.10.2023 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री भुगतान में अनियमितता के क्रम में प्रथम दृष्टया लिप्तता पायी जाने पर श्री कमलेश कुमार सैनी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग जयपुर में किया गया। निदेशालय के विभागीय आदेश क्रमांक 985 दिनांक 02.11.2023 द्वारा उक्त निलम्बन आदेश की पुष्टि करते हुए श्री सैनी का मुख्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग जयपुर किया गया।

उक्त प्रकरण में श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के विरूद्व विभागीय जांच कार्यवाही करते हुए राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय ज्ञापन संख्या 1881–85 दिनांक 11.07.2024 के जरिये आरोप–पत्र जारी किया गया। आरोपी कार्मिक का प्रकरण में प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर विभागीय आदेश संख्या 2004–08 दिनांक 4.09.2024 के द्वारा कोषाधिकारी (सचिवालय), जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सैनी को गुणावगुण के आधार पर विभागीय आदेश क्रमांक 1198 दिनांक 23.10.2024 द्वारा निलम्बन से बहाल कर कार्यालय प्रबंधक, रवीन्द्र मंच जयपुर में पदस्थापन किया गया। जांच अधिकारी कोषाधिकारी (सचिवालय), जयपुर ने अपने पत्र संख्या 2161 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय आदेश क्रमांक 289–93 दिनांक 25.03.2025 जारी कर श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को विभागीय जांच से आरोप भुक्त करते हुए निलम्बन अवधि को सभी उदेश्यों हेतु निरन्तर सेवा अवधि के रूप में माने जाने के आदेश पारित किये गये है।

श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के विरूद्व कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अन्तर्गत श्री सैनी की निलम्बन अवधि दिनांक 12.10.2023 से 22.10.2024 तक के भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगें तथा निलम्बन अवधि को देय समस्त परिलाभों की गणना योग्य माना जावेगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांक:- प.4(ई)(1)(6)निप/(लिंक नंबर–23333/2013)/अलेसे–II/602 दिनांकः– 06-05-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव,वित्त **(राजस्व)** विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।
2. आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) जयपुर
3. प्रबंधक, रविन्द्र मंच, रामनिवास गार्डन, जयपुर।
4. उपनिदेशक (जांच) कार्यालय हाजा।
5. उपनिदेशक **(एसीपी)** को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय प्रबंधक, रविन्द्र मंच, रामनिवास गार्डन, जयपुर।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
8. संस्थापन अनुभाग
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)